महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

संख्या-30/2015/1138/38-4-15-05(बजट)/2012

प्रेषक,

वी० हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर,2015

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20 फरवरी, 2013, शासनादेश संख्या-2050/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-01 नवम्बर, 2013, शासनादेश संख्या-26/38-4-14-05(बजट)/2012, दिनांक-19 जून, 2014, शासनादेश संख्या-2/1328/38-4-14-05(बजट)/2012, दिनांक-10 दिसम्बर, 2014, शासनादेश संख्या-3/1463/38-4-14-05(बजट)/2012, दिनांक-18 दिसम्बर, 2014 तथा शासनादेश संख्या-163/38-4-14-87(विविध)/2014, दिनांक-05 मई, 2015 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु मार्ग-निर्देशिका दिनांक 20 फरवरी, 2013 के क्रम में पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते है:-

(1) अनिवार्य रूप से लोहिया समग्र ग्रामों में आवंटित किये जाने वाले लोहिया आवास

(क)- सर्वप्रथम बी०पी०एल० सर्वे- 2002 तथा बी०पी०एल० सूची -2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची से छूटे/वंचित रह गये ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा, जिनकी वार्षिक आय रूपये 36000/- से कम हो, आवास विहीन हो अथवा पूर्णतयः कच्चे मकान में रहते हों।

(ख)- उपरोक्त श्रेणी- 'क' के सारे परिवारों को लेने के उपरान्त ग्राम में इन्दिरा आवास योजना के लिए वित्तीय वर्ष-2015-16 में लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार की गयी सूची में से वरीयता क्रम के आधार पर परिवारों को चयनित किया जायेगा।

(ग)- प्रत्येक लोहिया ग्राम में इस अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया आवासों का आवंटन किया जायेगा।

(2) जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे गये लोहिया आवास।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(क)- जनपद में लोहिया ग्रामों के लिए आवंटित कुल लोहिया आवासों का 10 प्रतिशत अंश अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखा जायेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई जनपद में 25 समग्र ग्राम हों तो 25×25=625+62.5=687.5 अर्थात् 688 लोहिया आवासों का लक्ष्य आवंटित किया जायेगा।

(ख)- यदि किसी लोहिया ग्राम में लोहिया आवास के लिए 25 लाभार्थी भी पात्र न हों तो 25 में से अवशेष लोहिया आवास भी जिलाधिकारी के निस्तारण पर आवंटित होंगे।

(ग)- जिलाधिकारी के निस्तारण पर रखे गये लोहिया आवासों का आवंटन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(I) लोहिया समग्र ग्राम

(अ)- लोहिया ग्रामों में केवल ऐसे पात्र परिवारों को आवास आवंटित हो सकेंगे, जो बी0पी0एल0 सर्वे- 2002 तथा बी0पी0एल0 सूची -2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची से छूटे/वंचित रह गये हों। उदाहरण के लिए किसी लोहिया ग्राम में 28 परिवार ऐसे हैं, जो बी0पी0एल0 सर्वे-2002 में सम्मिलित नहीं हुये हैं और उपरोक्त बिन्दु-1 'क' के अनुसार लोहिया आवास के लिए पात्र हों, तो जिलाधिकारी के निस्तारण पर रखे गये लोहिया आवासों में से 03 अतिरिक्त आवास समग्र ग्राम को करने के लिए आवंटित किया जा सकेगा।

(ब)- लोहिया ग्रामों में इन्दिरा आवास के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार की गयी सूची में से वरिष्ठता क्रम को अतिक्रमित करते हुए जिलाधिकारी के निस्तारण में रखे गये लोहिया आवास का आवंटन प्रतिबन्धित होगा।

(II) गैर लोहिया समग्र ग्राम

(अ)- ऐसे ग्रामों में बी0पी0एल0 सर्वे- 2002 तथा बी0पी0एल0 सूची -2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची से छूटे/वंचित रह गये उन परिवारों को लोहिया आवास आवंटित किया जा सकेगा, जिनकी वार्षिक आय रू0 36000/- से कम हो, आवास विहीन हों अथवा पूर्णत: कच्चे मकान में रहते हों तथा इन्दिरा आवास योजना हेतु निर्धारित अनर्हकारी शर्तो को आकृष्ट न करते हों।

(ब)- इन्दिरा आवास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित परिवारों को भी लोहिया आवास आवंटित किया जा सकेगा।

(3)- प्रत्येक जिले में सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया आवासों के लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा किया जायेगा।

(4)- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-30/2015/1138/38-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।

2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।

3- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।

4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।

7- निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपी नेडा), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

8- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

10- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

12- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

13- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

14- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

15- नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर, उ0 प्र0 राज्य शाखा योजना भवन, लखनऊ।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आकाश दीप)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in